न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली — प्रार्थी

बनाम

1. अजीम } पि. हबीब जाति मुसलमान निवासी अनीजरा, तहसील मासलपुर जिला करौली
2. अमीर } हाल निवासी 502, संजय नगर, डी.सी.एम., अजमेर रोड, जयपुर–302001
3. अजीज पुत्र हबीब जाति मुसलमान निवासी अनीजरा, तहसील मासलपुर जिला करौली हाल निवासी चैलपुर, सरमथुरा, जिला धौलपुर पिन 328026
4. कयूम पुत्र हबीब जाति मुसलमान निवासी अनीजरा, तहसील मासलपुर जिला करौली हाल निवासी वार्ड नं. 10, हांडीपुरा, दालपीर बाबा की दरगाह के नीचे, आमेर जयपुर–302028 — अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–14.01.2020

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 469 रकबा 0–08 बीघा ग्राम अनीजरा तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 469 रकबा 0–08 बीघा ग्राम रोहर सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु नामांतरकरण संख्या 43 द्वारा श्री हबीब खां पुत्र श्री दरियाब खां के नाम जरिये आवंटन दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में उपरोक्त भूमि श्री अजीज खा, अजीम खा, कयूम खा, अमीर खा पि. हबीब खां, जाति मुसलमान के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 469 रकबा 0–08 बीघा बाके ग्राम अनीजरा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2071–74 नामांतरकरण संख्या 43 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई।

अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 469 अप्रार्थीगण के नाम नियमानुसार आवंटित की गई थी। उक्त खसरा नं. 469 यदि नियमानुसार किस्म नाला दर्ज हो तो प्रार्थीगण को उक्त खसरा नं. से कोई सरोकार नहीं है। नाला दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 469 रकबा 0–08 बीघा गै.मु. नाला दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 43 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 469 रकबा 0–08 किस्म बारानी–3 श्री हबीब खां पुत्र श्री दरियाब खां जाति मुसलमान के नाम आवंटन होकर खोतदारी में दर्ज रिकार्ड हो गयी है जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता

संख्या 8 में भी अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम अनीजरा की आराजी खसरा नंबर 469 रकबा 0–08 बीघा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाला दर्ज करने की अनुशंषा की जाती है जिसकी स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.02.14 13:17:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: